


6 वित्तीय प्रबंधन

6.1 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की वित्तीय स्थिति

ग्रामीण विद्युतीकरण के वित्त-व्यवस्था को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है यथा भारत सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त योजना एवं झारखंड सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त योजना। भारत सरकार प्रदत्त योजनाओं में वित्त प्रवाह को चार्ट 6.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 6.1: भारत सरकार प्रायोजित ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में वित्त प्रवाह



6.1.1 भारत सरकार की योजनाएँ

जून 2020 तक ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजना लागत, प्राप्त होने वाली निधि में योगदान (भारत सरकार/झारखण्ड सरकार/ऋण), प्राप्त होने वाली निधि के विरुद्ध विमुक्त निधि एवं उपयोगित निधि तालिका 6.1 एवं 6.2 में दर्शायी गई है:

तालिका 6.1: योजनावार योजना लागत एवं संबंधित अंश

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	योजना लागत	निधि अंश		
		भारत सरकार	ऋण	झारखण्ड सरकार
आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	1,260.92	1,134.83		126.09*
डीडीयुजीजेवाई	3,722.12	2,233.27	1,116.64	372.21
सौभाग्या	887.11	532.26	266.14	88.71
कुल	5,870.15	3,900.39	1,382.78	587.01

* राज्य (स्वयं/ऋण) द्वारा प्रदत्त किया जाना है।

तालिका 6.2: भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार/ ऋण से प्राप्त योजनावार निधि एवं उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	विमुक्त निधि				उपयोगित निधि
	भारत सरकार	ऋण	झारखण्ड सरकार	कुल	
आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	921.60	102.42	145.51	1,169.53	1,148.44
डीडीयुजीजेवाई	2,236.07	1,090.35	837.50	4,163.92	3,856.16
सौभाग्या	142.90	शून्य	86.84	229.74	33.45 ⁹⁷
कुल	3,300.57	1,192.77	1,069.85	5,563.19	5,038.05

(स्रोत: जेबीवीएनएल द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

यह पाया गया कि:

- आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) योजना 17 जिलों के लिए स्वीकृत (अगस्त 2014) हुई। कार्य नौ संवेदकों को 24 महीने के समापन अवधि के साथ ₹ 1,351.76 करोड़ की लागत में आवंटित (फरवरी 2016 से मई 2016) की गई। क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद कार्यक्षेत्र विस्तार में वृद्धि (जुलाई 2017 से फरवरी 2018 के दौरान) के कारण लागत बढ़कर ₹ 1,610.99 करोड़ हो गई।
- इसी प्रकार, डीडीयुजीजेवाई राज्य के सभी 24 जिलों के लिए स्वीकृत (अगस्त 2015) हुई। 12 संवेदकों को कार्य का आवंटन 24 महीने के समापन अवधि के साथ ₹ 4,163.12 करोड़ की लागत से आवंटित (मार्च 2017 से सितंबर 2017) की गई। क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद कार्य के क्षेत्र विस्तार में वृद्धि एवं जीएसटी के प्रकटीकरण के कारण लागत बढ़कर (नवम्बर 2018) ₹ 5,245.63 करोड़ हो गई।

आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) एवं डीडीयुजीजेवाई के कार्य समाप्त (जून 2020) नहीं हुई थी।

⁹⁷ ₹ 107.31 करोड़ ईएससी को हस्तान्तरित की गई

6.1.2 राज्य योजना

राज्य योजनाओं में जून 2020 तक प्राप्त एवं उपयोगित निधि का विवरण तालिका 6.3 में है:

तालिका 6.3: अनुमोदित योजना लागत के विरुद्ध योजनावार प्राप्त एवं उपयोगित निधि (₹ करोड़ में)

योजना का नाम	योजना लागत	प्राप्त निधि	उपयोगित निधि
ऐजीजेवाई	150.00	100.00	74.63
टीएमकेपीवाई	117.00	100.00	1.38
जेएसबीएवाई	2,664.54 ⁹⁸	900.36*	570.50 ⁹⁹
कुल	2,931.54	1,100.36	646.51

* विमुक्त निधि में जेएसबीएवाई ग्रामीण एवं शहरी मिश्रित

(स्रोत: जेबीवीएनएल द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

6.2 योजना अनुश्रवण अभिकरण (पीएमए) पर अतिरिक्त खर्च

जेबीवीएनएल ने आरईसीपीडीसीएल को पीएमए के रूप में नवंबर 2018 तक के लिए आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत 17 जिलों में कार्यान्वित किए जाने वाले परियोजनाओं के लिए ₹ 11.95 करोड़ के परामर्शी शुल्क पर नियुक्त किया (अगस्त 2016), जिसे चरणों¹⁰⁰ में दिया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) मुख्यतया सामग्री आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के चयन, विद्युत उपकरण के प्रत्याभूत तकनीकी मानक के अनुमोदन, विद्युत संरचना के अनुमोदित चित्रण का अनुमोदन, सामग्री निरीक्षण, टीकेसी को भूमि उपलब्ध कराने इत्यादि में विलंब के कारण पूरा नहीं हो सका (जून 2020)। जेबीवीएनएल ने प्रति माह ₹ 19.93 लाख के लागत पर पीएमए को सितंबर 2019 तक अवधि विस्तार दिया गया। परिणामतः जेबीवीएनएल दिसंबर 2018 से सितंबर 2019 के अवधि के लिए ₹ 1.99 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया। पीएमए अनुबंध का अवधि विस्तार (जून 2021) अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक ₹ 1.44 करोड़ के अनुमानित लागत पर दिया गया जिसका अवधि विस्तार आगे बढ़ाये जाने की संभावना है।

प्रबंधन/विभाग ने बताया (मई 2021/अक्टूबर 2021) की कार्यक्षेत्र में वृद्धि के कारण अनुबंध का अवधि विस्तार किया गया एवं परिणामतः लागत में वृद्धि हुई।

जेबीवीएनएल का यह तर्क कि कार्य की मात्रा में वृद्धि हुई थी, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरजीजीवीवाई (XII योजना) डीपीआर में वर्णित कार्यक्षेत्र 18,092 गाँव

⁹⁸ जेएसबीएवाई की कुल परियोजना लागत ₹ 5,127.56 करोड़ थी जिसमें जेएसबीएवाई ग्रामीण के लिए ₹ 2,084.93 करोड़ और मीटरीकरण एवं नए कृषि विद्युत-संबंध के लिए ₹ 579.61 करोड़ शामिल थे।

⁹⁹ जेएसबीएवाई शहरी के लिए ₹ 146.97 करोड़ को छोड़कर।

¹⁰⁰ टीकेसी को भुगतान के साथ आनुपातिक आधार पर अनुबंध मूल्य का 45 प्रतिशत, अनुबंध अवधि के 27 समान मासिक किश्तों में 45 प्रतिशत और कार्य समाप्त होने पर शेष 10 प्रतिशत।

और 4,71,971 बीपीएल विद्युत-संबंध के विरुद्ध केवल 10,752 गांव का विद्युतीकरण और 2,71,670 बीपीएल विद्युत-संबंध जारी किया। इसके अलावा, जेबीवीएनएल और टीकेसी कार्य में विलंब के लिए जिम्मेदार थे, जिसके कारण पीएमए को अवधि विस्तार दिया जाना आवश्यक हो गया था।

6.3 टीडीएस कटौती न होने से संवेदकों को अनुचित लाभ

आयकर अधिनियम 1961 के धारा 194 ग(1) के अनुसार किसी संविदा के अनुसरण में, उत्तरदायी कोई व्यक्ति, किसी कार्य (जिसके अधीन किसी कार्य को करने के लिए श्रम की आपूर्ति भी है) को करने के लिए किसी निवासी (संवेदक) को, जहां भुगतान किसी व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार से भिन्न किसी व्यक्ति को संदाय या प्रत्यय किया जा रहा हो, वहां दो प्रतिशत, के बराबर रकम की आय पर आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया कि जेबीवीएनएल ने टीकेसी से एक टर्न-की अनुबंध किया परंतु मूल्य को ध्यान को रखकर अनुबंध को दो भाग यथा आपूर्ति एवं निर्माण में विभाजित कर दिया गया। टीकेसी को भुगतान के समय, जेबीवीएनएल ने आपूर्ति पक्ष में टीडीएस नहीं काटा अपितु यह अनुबंध का भाग था और निर्माण के साथ जुड़ा था। अतः आपूर्ति पक्ष को भी श्रोत पर कर (टीडीएस) कटौती के लिए विचार किया जाना था।

तत्पश्चात, आयकर विभाग (आईटीडी) ने जेबीवीएनएल को आरई के 17 योजना एवं पांच पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) के विरुद्ध ₹ 36.64 करोड़ जमा करने के लिए सूचित (अक्टूबर 2017) किया। जेबीवीएनएल आपूर्ति पक्ष पर ₹ 9.79 करोड़¹⁰¹ की कम कटौती को स्वीकार (नवंबर 2017) किया एवं ₹ 9.79 करोड़ के 20 प्रतिशत की राशि ₹ 1.96 करोड़¹⁰² जमा कर माँग विपत्र में सुधार करने के लिए आयकर उपायुक्त के पास आवेदन दिया। अतः जेबीवीएनएल विपत्र से टीडीएस न/ कम कटौती कर संवेदकों को कम से कम ₹ 7.32 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया।

प्रबंधन/विभाग अपने उत्तर (मई 2021/अक्टूबर 2021) में स्वीकार किया कि आयकर विभाग ने अपने कारण बताओ नोटिस में कहा, चूँकि यह मिश्रित अनुबंध था, जेबीवीएनएल को पूरे अनुबंध मूल्य पर आयकर कटौती करनी थी।

6.4 डीडीयूजीजेवाई के ऋण पक्ष पर उच्च दर से ब्याज का पुनर्भुगतान

ऋण अनुबंधपत्र के अनुसार, जेबीवीएनएल को आरईसी के अद्यतन ऋण नीति में वर्णित श्रेणी¹⁰³ को प्रति अदायगी दिवस में प्रचलित दर के अनुसार ऋण भारित

¹⁰¹ आरई - ₹ 7.32 करोड़ और आरएपीडीआरपी - ₹ 2.47 करोड़।

¹⁰² आरई मद से ₹ 1.46 करोड़ एवं आरएपीडीआरपी मद से ₹ 49.48 लाख।

¹⁰³ आरईसी ने प्रत्येक श्रेणी के लिए लागू ब्याज दरों को परिभाषित करने के लिए राज्य क्षेत्र की यूटिलिटी को श्रेणियों जैसे ए+, ए, बी और सी में वर्गीकृत किया।

किया जाना था। प्रयोज्य ऋण दर प्रति तीन वर्षों में पुनर्नियोजित एवं त्रैमासिक आधार पर संयोजन के साथ निम्न शर्तों के साथ लागू होने थे:

- अगर आरईसी की जेबीवीएनएल के लिए ऋण अदायगी 9.5 प्रतिशत से कम रही तो, डीडियुजीजेवाई योजना के लिए, जेबीवीएनएल को आरईसी के ऋण अदायगी दर पर कोई छूट नहीं दी जाएगी;
- अगर आरईसी की जेबीवीएनएल के लिए ऋण अदायगी दर 9.5 प्रतिशत से 11.50 प्रतिशत के बीच रही तो, प्रयोज्य ऋण दर 9.5 प्रतिशत रहेगी; और
- अगर आरईसी की जेबीवीएनएल के लिए ऋण अदायगी 11.50 प्रतिशत से ज्यादा रही तो, डीडियुजीजेवाई योजना के लिए, जेबीवीएनएल को आरईसी के ऋण अदायगी दर पर 1.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, आरईसी, झारखण्ड सरकार और जेबीवीएनएल के बीच हुए त्रिपक्षीय अनुबंध (नवंबर 2016) के अनुसार, आरईसी को झारखण्ड सरकार के एवज में सीधे जेबीवीएनएल के खाते में निधि आवंटित करनी थी और अगर आरईसी से कोई ऋण लिया जाता है तो झारखण्ड सरकार, आरईसी के स्वीकृति पत्र के अनुसार, ऋण अदायगी एवं ब्याज एवं अन्य प्रभार के भुगतान के लिए वचनबद्ध/ उत्तरदायी था।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि डीडियुजीजेवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए आरईसी ने जेबीवीएनएल को ₹ 1,103 करोड़ की ऋण स्वीकृत किया (नवंबर 2017)। जिसमें से ₹ 1,090.35 करोड़ का आवंटन जेबीवीएनएल को (दिसंबर 2018 एवं जून 2020 के दौरान) किया गया। आरईसी जेबीवीएनएल के ऋण पर 9.5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 10.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भारित किया जबकि ऋण अनुबंधपत्र के अनुसार अनुमान्य दर 9.5 प्रतिशत थी क्योंकि दिसंबर 2018 से आरईसी प्रयोज्य ऋण दर कभी भी 11.50 प्रतिशत से ऊपर नहीं गई।

परंतु, जेबीवीएनएल ने कभी आरईसी के साथ 10 प्रतिशत एवं 10.75 प्रतिशत के उच्च दर के ब्याज भारित करने का मुद्दा नहीं उठाया और दिसंबर 2018 से जून 2020 के अवधि के लिए ₹ 113.20 करोड़ के माँग के विरुद्ध ₹ 110.32 करोड़¹⁰⁴ (मार्च 2020 तक) भुगतान किया जिसमें ₹ 1.17 करोड़ (*परिशिष्ट VII*) का अतिरिक्त ब्याज भी शामिल था। क्योंकि, झारखण्ड सरकार ने ऋण अदायगी के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं कराया, जेबीवीएनएल ब्याज दण्ड से बचने के लिए डीडियुजीजेवाई के निधि से ₹ 110.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त झारखण्ड सरकार ₹ 54.60 करोड़ (दिसम्बर 2020) का भुगतान किया जिसमें ₹ 94.71 लाख दण्ड राशि शामिल थी।

¹⁰⁴ विलंब शुल्क सहित ₹ 9.23 लाख।

➤ डीडीयुजीजेवाई का कार्य एलओए के अनुसार अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के बीच समाप्त होना था किन्तु मई 2020 तक कार्य अपूर्ण था। एटीसी हानि भी 2018-19 के 15 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 28.69 प्रतिशत रहा। पूर्ण मीटरीकरण एवं ऊर्जा लेखांकन के कमी के कारण, जेबीवीएनएल, झारखण्ड सरकार से उपयुक्त आर्थिक सहायता लेने में असफल रहा। अतः, जेबीवीएनएल, डीडीयुजीजेवाई के ऋण का अतिरिक्त अनुदान के परिवर्तन से संबंधित आरईसी के शर्तों को पूरा नहीं कर सका जिसके कारण 50 प्रतिशत ऋण (₹ 558.32 करोड़) को अतिरिक्त अनुदान में परिवर्तित कराने से होने वाले लाभ प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते (मई/अक्टूबर 2021) हुए कहा कि इस मामले को आरईसी के समक्ष स्पष्टीकरण के लिए उठाया गया है।

6.5 मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज

आरईसी निर्देशिका (22 अगस्त 2016) के अनुसार, डीडीयुजीजेवाई के अनुबंध के दशा में मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज दर एसबीआई के आधार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेबीवीएनएल ने फरवरी 2018 से फरवरी 2020 के बीच 8.65 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के दर से ब्याज भारित किया जो एसबीआई के आधार मूल्य जो 8.95 प्रतिशत से 9.1 प्रतिशत के बीच था, से कम रहा। परिणामस्वरूप, जेबीवीएनएल टीकेसी से ₹ 25.95 लाख का कम ब्याज अर्जित किया।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते (मई /अक्टूबर 2021) हुए कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की गणना की समीक्षा की जा रही है और अल्प वसूली को अग्रिम विपत्र से वसूल कर ली जाएगी।

6.6 मोबिलाइजेशन अग्रिम से अर्जित ब्याज का नियम-विरुद्ध रखना

आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) एवं डीडीयुजीजेवाई योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, चूँकि डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत प्राप्त पूंजीगत सब्सिडी/अनुदान भारत सरकार की निधि थी और लाभार्थी मात्र निधि का देखभाल करने वाला था, पूंजीगत सब्सिडी/अनुदान से अर्जित ब्याज को कम से कम तीन महीने में एक बार उर्जा मंत्रालय के खाते में भेजना था।

साथ ही, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के धारा 230(8) दर्शाता है कि अनुदेयी संस्था को अनुदान एवं अग्रिम (प्रतिपूर्ति को छोड़कर) से अर्जित सभी ब्याज एवं प्राप्ति को लेखा के समापन के तत्पश्चात अनिवार्य रूप से भारत के संचित निधि में भेजा जाना चाहिए। इन अग्रिम का समायोजन भविष्य में विमुक्त होने वाली राशि से नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेबीवीएनएल, आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) एवं डीडीयुजीजेवाई में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान लगे टीकेसी को दिये

₹ 404.46 करोड़¹⁰⁵ के अग्रिम पर ₹ 41.62 करोड़¹⁰⁶ रुपया ब्याज़ कमाया जिसमें से ₹ 33.07 करोड़¹⁰⁷ ब्याज़ भारत सरकार अनुदान पर अर्जित किया जिसका उपयोग मोबिलाइजेशन अग्रिम देने में किया गया था। परंतु, जेबीवीएनएल ने भारत सरकार के अनुदान से अर्जित ब्याज़ को उर्जा मंत्रालय को नहीं भेजा।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते (मई/अक्टूबर 2021) हुए कहा कि ब्याज़ का अंतिम गणना योजना के समापन पर किया जाएगा एवं तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

6.7 खनिज स्वामित्व की कटौती न किया जाना

झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली (जेएमएमसी), 2004 नियम 55 के अनुसार, कार्य संवेदकों को लघु-खनिजों की खरीदारी केवल अनुमति-पत्र धारक/प्राधिकृत पट्टाधारकों से ही करनी है। साथ ही कार्य संवेदक को कार्य विभाग को विपत्र के साथ प्रपत्र 'ओ' में एक शपथ पत्र तथा प्रपत्र 'पी' में विवरणी समर्पित करना होता है जिसमें खनिज के खरीद का श्रोत, चुकता मूल्य एवं क्रय मात्रा का वर्णन होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेबीवीएनएल ने आरई योजना यथा डीडियुजीजेवाई एवं आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) इत्यादि में उपयोगित लघु खनिज यथा बालू, ईट, चिप्स इत्यादि के खरीद के प्रमाण से संबन्धित प्रपत्र 'ओ' में एक शपथ पत्र तथा प्रपत्र 'पी' में विवरणी, विपत्र के साथ देने के लिए टीकेसी से आग्रह नहीं किया क्योंकि एलओआई में सिविल निर्माण कार्य का सामग्री विवरण नहीं था, जेबीवीएनएल ने भी किसी विपत्र से स्वामित्व की कटौती नहीं की।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 44 पीएसएस में से, 24 पीएसएस का निर्माण नमूना-जांचित सात जिलों में किया गया था। डीडियुजीजेवाई के तहत निर्मित गिरिडीह जिले (पैकेज IV) में एक पीएसएस की केवल चारदीवारी और नियंत्रण कक्ष के लिए सामग्री विवरण की जांच से कार्य में उपयोग किए गए चिप्स, रेत और ईंटों के विरुद्ध ₹ 10.63 लाख की स्वामित्व की कटौती न किए जाने का पता चला। इस गणना के आधार पर, जेबीवीएनएल ने 24 पूर्ण पीएसएस के विरुद्ध कम से कम ₹ 2.55 करोड़ के स्वामित्व की कटौती नहीं की।

प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई /अक्टूबर 2021) कि संवेदकों से प्रपत्र 'ओ' एवं प्रपत्र 'पी' समर्पित करने के लिए पत्राचार किया गया है और उनके प्रस्तुतीकरण के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

¹⁰⁵ XII पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ₹ 63.38 करोड़ और डीडियुजीजेवाई के अंतर्गत ₹ 341.08 करोड़।

¹⁰⁶ XII पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ₹18.56 करोड़ और डीडियुजीजेवाई के अंतर्गत ₹ 23.06 करोड़।

¹⁰⁷ XII पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ₹17.11 करोड़ और डीडियुजीजेवाई के अंतर्गत ₹ 15.96 करोड़।

सारांश में, जेबीवीएनएल ने आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप सितंबर 2020 तक परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए) पर ₹ 3.43 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

जेबीवीएनएल निर्धारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने, 2018-19 तक एटीसी हानियों को 15 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर रखने, मीटर-युक्त और बिल की गई विद्युत् उपभोग के आंकड़ों के अभाव में, झारखण्ड सरकार से स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी दावा करने में विफल रहा। अतः जेबीवीएनएल ₹ 558.32 करोड़ मूल्य के 50 प्रतिशत ऋण को अतिरिक्त अनुदान में बदलने का लाभ नहीं उठा पाएगा।

आरईसी ने ऋण समझौते के अनुसार 9.5 प्रतिशत के स्वीकार्य ब्याज के विरुद्ध जेबीवीएनएल को वितरित ऋण (₹ 1,090.35 करोड़) पर 9.5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 10.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज लगाया। इस प्रकार, जेबीवीएनएल ने दिसंबर 2018 से जून 2020 की अवधि के लिए ₹ 1.17 करोड़ के अधिक ब्याज का भुगतान किया।

टीकेसी को फरवरी 2018 से फरवरी 2020 के दौरान मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज, मौजूदा एसबीआई आधार दर से कम दर पर लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.95 लाख की कम वसूली हुई।

जेबीवीएनएल ने टीकेसी को दिए गए ₹ 404.46 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ₹ 41.62 करोड़ का ब्याज अर्जित किया, जिसमें भारत सरकार से प्राप्त अनुदान पर प्राप्त ₹ 33.07 करोड़ का ब्याज भी शामिल था। हालांकि, जेबीवीएनएल ने भारत सरकार के अनुदान पर अर्जित ब्याज उर्जा मंत्रालय को नहीं भेजा।